

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 202/2025 निगरानी

- | | | |
|--|------|---|
| 1. रामचन्द्र पुत्र धन्ना गाडरी, निवासी गाडरी खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. सोसर देवी गाडरी पत्नि भगवान गाडरी, निवासी गाडरी खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा |
| 2. देबी लाल पुत्र धन्ना गाडरी, निवासी गाडरी खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा | | 2. ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा |
| 3. बद्री पुत्र धन्ना गाडरी, निवासी गाडरी खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा | | 3. ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा जरिये ग्राम सेवक / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा |
| 4. शांता पुत्री धन्ना गाडरी पत्नि भैरू गाडरी, निवासी गाडरी खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा हाल निवासी रिछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा | | |
| 5. भूरा पुत्री धन्ना गाडरी पत्नि बक्शा गाडरी, निवासी गाडरी खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा हाल निवासी खायड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा | | |
| 6. गीता पुत्री धन्ना गाडरी पत्नि दुधा गाडरी, निवासी गाडरी खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा हाल निवासी सालरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा | | |
| 7. राजु पुत्री धन्ना गाडरी पत्नि नारायण गाडरी, निवासी सरदारनगर, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा | | |
| 8. रामु पुत्री धन्ना गाडरी पत्नि शंकर गाडरी, निवासी गाडरी खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा हाल निवासी खेडलिया तहसील व जिला भीलवाड़ा | | |

—निगराकार

—गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994

विरुद्ध ग्राम पंचायत रीठ द्वारा जारी पट्टा संख्या 6, मिसल पत्रावली कमांक 45 दिनांक

5-8-2021



Dr.
1-4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

- उपस्थित – 1. श्री अभिमन्यु जोशी, अधिवक्ता निगराकार
2. श्री प्रताप तेली, गैर निगराकार-1 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:-01/04/2026

निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अनुसार ग्राम पंचायत रीठ द्वारा प्रार्थी पुनरीक्षकगण के पैतृक आवासीय मकान का पट्टा, पट्टा संख्या 6 विपक्षी संख्या 1 सोसर गाडरी के पक्ष में जरिये मिसल पत्रावली कमांक 45 को दिनांक 5-8-2021 के जारी किया है, जो गलत अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आवासीय भूमि का पट्टा जिस मकान का जारी किया गया है, वह गाडरी खेडा ग्राम पंचायत रीठ में स्थित है, पट्टा साईज 15 बाई 147 फिट पट्टे में बताई गई है और उपरोक्त पट्टा दिनांक 17-8-2021 को उपपंजीयक कोटडी के यहां से पंजीकृत हुआ है। ग्राम गाडरी खेडा ग्राम पंचायत रीठ में प्रार्थी पुनरीक्षकगण एवं विपक्षी संख्या 1 के ससुर भगवान लाल की पैतृक गुवाडी व मकान स्थित है, जिस बाबत गलत तौर से विपक्षी के नाम पर पंचायत ने पट्टा जारी किया है, जो गलत होकर अवैध एवं शून्य है। पक्षकारों के सजरा अनुसार दल्ला जी गाडरी के निम्न वारिस रहे- धन्ना जी गाडरी, धन्ना जी के रामचन्द्र पुत्र, देबी पुत्र, बंदी पुत्र, भगवान पुत्र, शांता पुत्री, भूरा पुत्री, गीता पुत्री, राजू पुत्री व रामु पुत्री हुए। सजरा अनुसार भगवान के फोखर गाडरी-पुत्र व किशनी देवी पत्नी हुए। इस प्रकार ग्राम गाडरी खेडा स्थित आवासीय जायदाद धन्ना जी गाडरी के भी पूर्वजों के समय से चली आ रही है। इस प्रकार धन्ना जी की सम्पत्ति में प्रत्येक वारिस का 1/9 हिस्सा है और इसी अनुसार विपक्षी संख्या 1 के पति भगवान का भी धन्ना जी की जायदाद में मात्र 1/9 हिस्सा ही है और जायदाद प्रार्थी पुनरीक्षकगण की पैतृक जायदाद है, जिसमें विपक्षी का किसी तरह कोई हक अधिकार नहीं आता है। पंचायत से पट्टा जारी होने से पूर्व ग्राम पंचायत रीठ द्वारा कोई सार्वजनिक आपत्ति का प्रकाशन नहीं किया गया, न ही प्रार्थी पुनरीक्षकगण की कोई सहमति ली गई और न ही प्रार्थी पुनरीक्षकगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। विपक्षी ने ग्राम पंचायत से मिलाभगती करके मात्र प्रार्थी पुनरीक्षकगण का पैतृक जायदाद में हक व अधिकार समाप्त करने के दुराशय से गलत तौर से पट्टा जारी करवाया गया है, जो प्रारम्भतः ही विधि में अवैध एवं शून्य होकर खारिज किये जाने योग्य है। किसी भी आवासीय भूमि का पट्टा तब जारी होता है, जब वर्षों से किसी व्यक्ति का आधिपत्य एवं मकान बना हुआ हो। पट्टा में अंकित है कि मकान 50 वर्ष से अधिक पुराना है, जबकि सोसर देवी तो दूसरे गांव की महिला है, जिसकी गाडरी खेडा में कोई पैतृक जायदाद नहीं है। 25 साल पूर्व वह गांव में विवाह करके आई है। ग्राम पंचायत रीठ द्वारा पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतराज अधिनियम की धारा 142, 158 की पालना नहीं की गई है। इस कारण विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा अवैध एवं शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा विहित नहीं है। विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा व रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति प्रार्थी पुनरीक्षकगण को दिनांक 24/05/2023 को प्राप्त हुई और दिनांक 24/05/2023 को ही सम्पूर्ण जानकारी हुई। दिनांक 24/05/2023 से याचिका 30 दिवस में विहित परिसीमा अवधि में प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी पुनरीक्षकगण की ओर से प्रस्तुत याचिका स्वीकार फरमाते हुए ग्राम पंचायत रीठ द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांकित 5-8-2021 अवैध एवं शून्य होने से निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान् उचित समझे प्रार्थी पुनरीक्षण को दिलावे।



Dr.
1-4-26
अति. जिला कलेक्टर
भिलवाड़ा

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थी संख्या 1 का जवाब प्रस्तुत किया गया।

गैर निगराकार-1 के जवाब अनुसार पंचायत रीठ द्वारा जवाबदाता के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जो सही जारी हुआ। आधारों का जवाब निम्नानुसार है- सजरे में बताये अनुसार धन्ना जी के पुत्र रामचन्द्र, देबी, बट्टी, भगवान पुत्रिया शांता, भूरा, गीता, राजु व रामु है और धन्ना जी के 9 वारिस है। जायदाद पैतृक है यह भी सही है, परन्तु अपीलार्थीगण ने पट्टे के लिये आवेदन नहीं दिया तो इसके लिये जवाबदाता जिम्मेदार नहीं है। जवाबदाता ने पट्टे के लिये आवेदन दिया और पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत रीठ द्वारा जवाबदाता के साथ कोई मिलाभगती नहीं की गई है और नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अतः जवाबदाता की ओर से जवाब प्रस्तुत है कि अपीलार्थीगण का धन्नाजी के वारिस होना स्वीकार है और जायदाद पैतृक होना भी सही है, परन्तु जवाबदाता ने पट्टे के लिये आवेदन दिया। अपीलार्थीगण ने पट्टे के लिये आवेदन नहीं दिया तो इसमें जवाबदाता की गलती नहीं है और पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया है। अतः जवाब रिकॉर्ड पर रखते हुए न्यायालय जैसा उचित समझे आदेश प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रीठ द्वारा दौराने पट्टा संख्या 06 भूखण्ड पंजीयन, यह कथन उप-पंजीयक के समक्ष लिखित में दर्ज कराए कि प्रश्नगत पट्टा द्वितीय पक्ष गैर निगराकार सोसरदेवी के नाम पर जारी किया गया, जिस पर उपयोग उपभोग व कब्जा द्वितीय पक्ष का ही है। ग्रा0वि0अधिकारी ने यह भी कथन दर्ज कराया कि गैर निगराकार-1 द्वारा आवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायत में आवेदन किया था। उक्त पट्टा संख्या 6 की राशि 200/- रसीद पंचायत में रसीद द्वारा जमा है। पट्टा संख्या 6 का पंजीयन उप-पंजीयक कोटडी द्वारा किया गया है। राधेश्याम गाडरी व किशानी देवी उक्त पंजीयन कार्यवाही में गवाह रहे। इन तथ्यों के तहत निगराकार की निगरानी अस्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव-

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम आधारहीन व सारहीन होने से अस्वीकार जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अति. जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

